



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-23032026-271187
CG-MP-E-23032026-271187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1423]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1423]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट भोपाल)]

अधिसूचना

भोपाल, 18 मार्च, 2026

का.आ. 1488(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (संसोधित अधिनियम 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना संख्या-4701, दिनांक 24 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय समाचार पत्रों में से हिंदी भाषा के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 07/11/2025 को तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 07/11/2025 को प्रकाशित किया गया है। और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को

सौंप दी है। रेल मंत्रालय, पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2025 से केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संसोधित अधिनियम 2008) की उप-धारा 2 के खण्ड 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारीख 22 मई 2025 से अनुविभागीय अधिकारी रायसेन जिला रायसेन को जिले में विशेष रेल परियोजना भोपाल – बीना खंड में रेलवे समपार फाटक क्रमांक 262 के बदले ऊपरी पुल का निर्माण कार्य परियोजना के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कराने का विनिश्चय किया गया। और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 262 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ग्राम : मुडियाखेडा , प.ह.न.06		तहसील : रायसेन , उपखण्ड-साँची		जिला : रायसेन		
क्रम संख्या	भूमि का स्वामी	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा	भूमि - कृषि/पडत/व्य पवर्तित	भूमि सिंचित/अ सिंचित
1	रजनी पांडेय बेबा विनोद पांडेय , सुधांशु पांडेय पुत्र विनोद पांडेय , सुमन पांडेय पुत्री विनोद पांडेय	36/2/2	0.607	0.054	कृषि भूमि	सिंचित
2	गिरजा पाण्डे आ० जमना पाण्डे	36/2/1	0.700	0.060	कृषि भूमि	सिंचित
3	सुनील पाण्डे , सुशील पाण्डे पुत्रगण शिवचरण उर्फ शिववचन जाति-पाण्डे	36/2/3	1.214	0.110	कृषि भूमि	सिंचित
4	शमीम रइस पुत्र रइस वारिस	36/1/1/1/1/2	1.214	0.037	व्यपवर्तित	सिंचित
5	चैनसिंह , हल्कू उर्फ कमर सिंह , मलखान सिंह , घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/5	0.914	0.080	कृषि भूमि	सिंचित
6	राधाबाई हि० 0.099 , सुशीला बाई , सुनीता बाई हि० 0.48 , आ० मनीराम	36/1/6/1	0.309	0.026	कृषि भूमि	सिंचित
7	चैनसिंह पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/2	0.303	0.026	कृषि भूमि	सिंचित
8	घनश्याम पुत्र भवानी प्रसाद अहिरवार	36/1/6/3	0.303	0.026	कृषि भूमि	सिंचित
9	चैनसिंह , हल्कू (कमर सिंह) , मलखान सिंह , घनश्याम पुत्रगण भवानी	36/1/7	0.918	0.080	कृषि भूमि	सिंचित
10	मेहराज खां पिता सुलेमान खां नि० वाखेडा हुजुर	67/1/1	0.425	0.017	कृषि भूमि	सिंचित
11	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	67/1/2/1	2.388	0.103	कृषि भूमि	सिंचित

12	शीलादेवी पत्नि ऊधव सिंह ठाकुर	68	0.125	0.015	कृषि भूमि	सिंचित
13	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/2	1.376	0.010	कृषि भूमि	सिंचित
14	विपुल रावत पुत्र नरेन्द्र कुमार रावत	36/1/3	1.376	0.005	कृषि भूमि	सिंचित
कुल भूमि रकबा -			12.172 हे०	0.649 हे०		

[फा. सं. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/262]]

अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति

MINISTRY OF RAILWAYS

[West Central Railway (Gati Shakti Unit) Bhopal]

NOTIFICATION

Bhopal, the 18th March, 2026

S.O. 1488(E).—The **Central Government**, under sub-section (1) of Section 20(A) of the **Railways Act, 1989 (Amended Act 2008)** (hereinafter referred to as “the said Act”), hereby, announces its intention to acquire the land specified in the notification of the **Ministry of Railways, Government of India (West Central Railway, Gati Shakti Unit, Bhopal)**, published in the **Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No.4701 dated 24th October 2025**. The land specified in the said notification is required for the execution of the **Railway Overbridge Construction Project** in place of **Level Crossing No. 262 in Raisen District, Madhya Pradesh**, and the announcement was made regarding the intention to acquire such land.

In accordance with sub-section (4) of Section 20(A) of the said Act, the notification was published in local newspapers, namely in the **Hindi language newspaper Dainik Bhaskar** on 07/11/2025 and in the **English language newspaper Times of India** on 07/11/2025. No objections have been received by the competent authority from any person, and the competent authority has submitted its report to the Central Government in accordance with sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act.

In exercise of the powers conferred under Clause 7(A) of Section 2 of the **Railways Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008)**, the **Ministry of Railways, West Central Railway (Gati Shakti Unit, Bhopal)**, by its notification dated 6 February 2025, has, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, i.e., **22nd May 2025**, authorized the **Sub-Divisional Officer, Raisen, District Raisen**, as the **competent authority** for the execution of the **Railway Over bridge Construction Project in place of Level Crossing No. 262** under the **Special Railway Project Bhopal–Bina Section** in the district.

Now, therefore, the Central Government on receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E) of the Railway Act, 1989, hereby declares that it has been decided to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the aforesaid purpose. And whereas, the Central Government hereby further declares, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act., that, on

the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

"Brief description of land, with or without structures, to be acquired for the construction of a railway overbridge in place of level crossing number 262 in the State of Madhya Pradesh."

Village- Mudiakheda , Patwari Halka No- 06 , Tehsil: Raisen , Upakhand –Sanchi , District: Raisen						
S. No	Name of Land Owner	Khasra Number	Total Area of Land (in he.)	Acquired Area of Land (in he.)	Land - (Agricultural/Fallow/Diverted)	Land Irrigated /Non-Irrigated
1	Rajni Pandey widow of Vinod Pandey, Sudhanshu Pandey son of Vinod Pandey , Suman Pandey daughter of Vinod Pandey	36/2/2	0.607	0.054	Agricultural Land	Irrigated
2	Girja Pandey, wife of Jamna Pandey	36/2/1	0.700	0.060	Agricultural Land	Irrigated
3	Sushil Pandey, Sunil Pandey, son of Shivcharan alias Shivvachan (Caste – Pandey)	36/2/3	1.214	0.110	Agricultural Land	Irrigated
4	Shamim Rais, son of Rais Waris	36/1/1/1/1/2	1.214	0.037	Diverted Land	Irrigated
5	Chainsingh, Halku alias Kamar Singh, Malkhan Singh, Ghanshyam, son of Bhawani	36/1/5	0.914	0.080	Agricultural Land	Irrigated
6	Radhabai (Share 0.099), Sushila Bai - Sunita Bai (Share 0.48), daughter of Maniram	36/1/6/1	0.309	0.026	Agricultural Land	Irrigated
7	Chainsingh, son of Bhawani Prasad Ahirwar	36/1/6/2	0.303	0.026	Agricultural Land	Irrigated
8	Ghanshyam, son of Bhawani Prasad Ahirwar	36/1/6/3	0.303	0.026	Agricultural Land	Irrigated
9	Chainsingh, Halku alias Kamar Singh, Malkhan Singh, Ghanshyam, son of Bhawani	36/1/7	0.918	0.080	Agricultural Land	Irrigated
10	Mehraj Khan, son of Suleman Khan, resident of Vakheda Huzur	67/1/1	0.425	0.017	Agricultural Land	Irrigated
11	Sheela Devi, wife of Udhav Singh Thakur	67/1/2/1	2.388	0.103	Agricultural Land	Irrigated
12	Sheela Devi, wife of Udhav Singh Thakur	68	0.125	0.015	Agricultural Land	Irrigated
13	Vipul Rawat, son of Narendra Kumar Rawat	36/1/2	1.376	0.010	Agricultural Land	Irrigated

14	Vipul Rawat, son of Narendra Kumar Rawat	36/1/3	1.376	0.005	Agricultural Land	Irrigated
Total land area			12.172 Hec.	0.649 Hec.		

[F. No. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/262]

ANUPAM AWASTHI, Chief Project Manager/Gati Shakti